

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 437 / 12

संस्थापन दिनांक:-24 / 09 / 12

फाईलिंग नं. 233504000862012

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

राजू पिता दशरथ हरोड़े, उम्र 36 वर्ष
 निवासी मेन रोड बोड़खी,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 13.10.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 384 भा0दं0सं0 एवं धारा 3/4 कर्जा एक्ट के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 29.12.2001 से 19.09.2012 तक की अवधि में बोड़खी चौक मेन बाजार बोड़खी में फरियादी सुरेश सिंह को कोई क्षति करने के भय में डालकर उसे पूर्व में दिये एक लाख रुपये के एवज में 10,00,000/- (दस लाख रुपये) परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित कर उद्दापन किया एवं फरियादी सुरेशसिंह को दिये गये एक लाख रुपये के एवज में उससे दस लाख रुपये की मांग कर मारपीट की, धमकी देकर उसे अभित्रास किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी सुरेश ने दिनांक 19.09.2012 को थाना अमाल आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करवायी कि उसने बारह वर्ष पूर्व अभियुक्त से एक लाख रुपये उधार लिए थे। उसने 12 वर्षों में राजू हरोड़े को अठ्ठारह लाख रुपये दे चुका है। राजू हरोड़े ने उसके साथ गाली गुप्तार कर मारपीट कर उससे अठ्ठारह लाख रुपये जबरन वसूल लिये। इसके बाद भी अभियुक्त उससे दस लाख रुपये की मांग कर रहा है तथा उसके घर आकर धमकी देता है। वह राजू हरोड़े के डर से छिपा घूम रहा है। फरियादी द्वारा दर्ज करायी गयी रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना आमला में अपराध क. 303/12 पंजीबद्ध किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी द्वारा राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया गया है परंतु अभियुक्त पर लगे धारा 384 भा0दं0सं0 एवं धारा 3/4 कर्जा एक्ट का आरोप अशमनीय होने से राजीनामा आवेदन निरस्त कर अभियुक्त का विचारण किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 29.12.2001 से 19.09.2012 तक की अवधि में बोड़खी चौक मेन बाजार बोड़खी में फरियादी सुरेश सिंह को कोई क्षति करने के भय में डालकर उसे पूर्व में दिये एक लाख रुपये के एवज में 10,00,000/- (दस लाख रुपये) परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित कर उद्दापन किया एवं फरियादी सुरेशसिंह को दिये गये एक लाख रुपये के एवज में उससे दस लाख रुपये की मांग कर मारपीट की, धमकी देकर उसे अभित्रास किया ? ”

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

6 सुरेश कुशवाह (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसने दिनांक 29.12.2000 को अभियुक्त से एक लाख रुपये नगद उधार लिए थे। अभियुक्त को उसने एक महीने बाद उधार पैसे वापस नहीं किये तो 15 प्रतिशत ब्याज लगाकर 15000/- रुपये हर माह डरा धमका कर ले लेता था। लगभग 12 साल तक अभियुक्त यही करता रहा। इसके बाद दस लाख रुपये मांगने लगा। दस लाख रुपये की मांग करने के दो साल बाद उसने थाने में रिपोर्ट की थी। दिलीप सिंह (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना दिनांक 19.09.2012 की है। घटना दिनांक को अभियुक्त घर पर आया था और अभियुक्त राजू उधार लिए गये पैसे वापस मांग रहा था और मारने की धमकी दे रहा था। साक्षी ने यह बताया है कि उसकी धमकी से वह बहुत डर गया था। इसके अलावा और कोई बात नहीं हुई थी।

7 सुरेश कुशवाह (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि घटना की रिपोर्ट उसके द्वारा 12 साल बाद की गयी। 2002 से 2012 के बीच उसने रिपोर्ट नहीं की। इस सुझाव को भी सही बताया है कि जनवरी 2003 से सितंबर 2012 तक उसने अभियुक्त के द्वारा अभियुक्त के ब्याज मांगने पर उसकी कोई रिपोर्ट नहीं की थी। रिपोर्ट दर्ज कराने के एक माह पहले चैक बाउंस का नोटिस प्राप्त हुआ था।

अभियुक्त के पिता के द्वारा रिपोर्ट किये जाने पर चैक अनादरण का प्रकरण उसके विरुद्ध चल रहा है। स्वतः में साक्षी ने कहा कि झूठा प्रकरण है। जबरदस्ती चैक ले लिया गया था। इस सुझाव को सही बताया है कि यदि अभियुक्त चैक बाउंस के मामले में सुलह कर ले तो वह अभियुक्त के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। दिलीप सिंह (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त के पिता ने उनके खिलाफ चैक बाउंस की शिकायत की थी। अभियुक्त ने उसके सामने उसके भाई से कुछ नहीं कहा था। इस सुझाव को सही बताया है कि अभियुक्त से उनका राजीनामा हो गया है और वह कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं।

8 फरियादी सुरेश (अ.सा.-1) ने यह बताया है कि अभियुक्त हर महीने 15000/- रुपये डरा धमका और मारपीट करके लेता था। लगभग 12 साल तक अभियुक्त यह करता रहा परंतु अभिलेख पर ऐसी कोई भी साक्ष्य नहीं है कि इन 12 वर्षों के दौरान फरियादी ने इस संबंध में कहीं पर कोई रिपोर्ट की हो। साथ ही फरियादी के कथनों से यह भी प्रकट नहीं हो रहा है कि घटना दिनांक को अभियुक्त ने फरियादी को क्षति कारित करके या क्षति के भय में डालकर उससे घटना दिनांक को राशि प्राप्त की हो। अभियोजन कथा अनुसार ही अभियुक्त रुपये की मांग करता था और धमकी देता था जिस कारण फरियादी भय में रहता था। इसके अलावा साक्षी दिलीप से जो कि फरियादी का भाई है उसने भी अपने कथनों में बताया है कि अभियुक्त से उधार लिए गये पैसे वापस नहीं करने पर अभियुक्त मारने की धमकी देता था जिस वजह से वे डर गये थे और उसका भाई सुरेश भी भयभीत रहता था। फरियादी ने अपने कथनों में यह भी स्वीकार किया है कि उसके विरुद्ध अभियुक्त के पिता की रिपोर्ट से चैक अनादरण का प्रकरण चल रहा है और यदि अभियुक्त के पिता उस प्रकरण में राजीनामा कर ले तो वह अभियुक्त के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। फरियादी सुरेश (अ.सा.-1) ने अपने कथनों में यह भी नहीं बताया है कि घटना दिनांक को अभियुक्त ने उसके द्वारा दी गयी उधार राशि से अधिक राशि की मांग की और मारपीट कर उसे धमकी दी। इस तरह से साक्षी के द्वारा स्वयं अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया गया है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भी प्रकट नहीं हो रहा है कि घटना दिनांक को अभियुक्त के द्वारा फरियादी को भय में डालकर उससे राशि प्राप्त की गयी हो।

9 उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो चुका है। अतः राजीनामा को देखते हुए एवं अभियुक्त द्वारा फरियादी को उधार राशि परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करने के संबंध में तथा ली गयी उधार राशि के एवज में अधिक राशि की मांग कर उपहति कारित किये जाने के संबंध में साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता। फलतः यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्त ने दिनांक 29.12.2001 से 19.09.2012 तक की अवधि में बोड़खी चौक मेन बाजार बोड़खी में फरियादी सुरेश सिंह को कोई क्षति करने के भय में

डालकर उसे पूर्व में दिये एक लाख रुपये के एवज में 10,00,000/- (दस लाख रुपये) परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित कर उद्दापन किया एवं फरियादी सुरेशसिंह को दिये गये एक लाख रुपये के एवज में उससे दस लाख रुपये की मांग कर मारपीट की, धमकी देकर उसे अभित्रास किया । निष्कर्षतः अभियुक्त राजू हरोड़े को धारा 384 भा०दं०सं० एवं धारा 3/4 कर्जा एक्ट के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है ।

10 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

11 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)